

प्रेस नोट संख्या- 26

दिनांक 12.07.2024

सराहनीय कार्य थाना मुंशीगंज पुलिस

चोरी का खुलासा, चोरी के सामान एवं चोरी करने के विभिन्न उपकरण के साथ 03 अन्तर्जनपदीय शातिर चोर गिरफ्तार ।

जनपद अमेठी में अपराध एवं अपराधियों के धर पकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम दिनांक 12.07.2024 को उ0नि0 संजय सिंह थाना मुंशीगंज मय हमराह द्वारा तलाश वांछित व देखभाल क्षेत्र के दौरान मुखबिर मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 119/24 धारा 457,380 भादवि से सम्बन्धित प्रकाश में आये अभियुक्त 1. अरविन्द कुमार गुप्ता पुत्र रामनरेश गुप्ता निवासी ग्राम टीकरमाफी मानापट्टी साकर थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी उम्र करीब 26 वर्ष 2. अमरनाथ तिवारी पुत्र छोटई तिवारी निवासी ग्राम खनियापुर थाना कौड़हौर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 48 वर्ष 3. राकेश तिवारी पुत्र रामअचल तिवारी निवासी ग्राम गौडे थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 52 वर्ष को आम का बाग ग्राम सरुवावां के पास से समय करीब 02:31 बजे रात्रि में गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तों के कब्जे से 01 अदद लोहे का कटर प्लास्टिक कवर के साथ, 02 अदद मोबाइल, 02 अदद सलाई रिंच, 01 अदद पिलास, कुल 12 अदद रिंच/08 अदद पाना रिंच व 01 अदद मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेण्डर प्लस बिना नम्बर प्लेट बरामद हुई ।

बरामद सामान के बारे में पूछताछ करने पर अभियुक्तों ने बताया कि हम तीनों लोगों ने मिलकर दिनांक 17.06.2024 की रात्रि में ग्राम सरुवावां के पास मुख्य मार्ग पर रोड किनारे हवा धुलाई व पंचर की दुकान के पीछे से दीवार तोड़कर गाड़ी धुलने की प्रेशर मशीन व 02 हैण्डपम्प के नलका का सामान समेत काफी सामान चोरी किया था । चोरी किये कुछ सामान को आने जाने वाले राहगीरों को बेच कर उसका पैसा खर्च कर दिया है । मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेण्डर प्लस बिना नम्बर प्लेट के कागजात मांगने पर दिखा नहीं सके । गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना मुंशीगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता –

1. अरविन्द कुमार गुप्ता पुत्र रामनरेश गुप्ता निवासी ग्राम टीकरमाफी मानापट्टी साकर थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी उम्र करीब 26 वर्ष
2. अमरनाथ तिवारी पुत्र छोटई तिवारी निवासी ग्राम खनियापुर थाना कौड़हौर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 48 वर्ष
3. राकेश तिवारी पुत्र रामअचल तिवारी निवासी ग्राम गौडे थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 52 वर्ष

बरामदगी-

1. 01 अदद लोहे का कटर प्लास्टिक कवर के साथ
2. 01 अदद स्मार्टफोन वीवो कम्पनी
3. 01 अदद कीपैड मोबाइल लावा कम्पनी
4. 02 अदद सलाई रिंच
5. 01 अदद पिलास
6. कुल 12 अदद रिंच/08 अदद पाना रिंच
7. 01 अदद मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेण्डर प्लस बिना नम्बर प्लेट ।

पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही -

1. मु0अ0सं0 119/24 धारा 457,380,411,401 भादवि थाना मुंशीगंज जनपद अमेठी ।
2. मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेण्डर प्लस बिना नम्बर प्लेट (धारा 207 एमवी एक्ट)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 संजय सिंह थाना मुंशीगंज जनपद अमेठी ।
2. हे0का0 अब्दुल अजीज थाना मुंशीगंज जनपद अमेठी ।
3. हे0का0 सुरेन्द्र यादव थाना मुंशीगंज जनपद अमेठी ।
4. का0 कृष्णवीर चाहर थाना मुंशीगंज जनपद अमेठी ।
5. का0 मनीष कुमार पाल थाना मुंशीगंज जनपद अमेठी ।

अभियुक्त अरविन्द कुमार गुप्ता का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 62/18 धारा 41,411,413,419,420,467,468,471 भादवि थाना कोतवाली अमेठी जनपद अमेठी ।
2. मु0अ0सं0 58/19 धारा 41,411,413,419,420,467,468,471 भादवि थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी ।
3. मु0अ0सं0 1105/16 धारा 41,411,419,420 भादवि थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी ।
4. मु0अ0सं0 1106/16 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी ।
5. मु0अ0सं0 196/18 धारा 379,411 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ ।
6. मु0अ0सं0 230/18 धारा 379,411 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद सुलतानपुर ।

अभियुक्त अमरनाथ तिवारी का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 162/15 धारा 302,34,394 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद सुलतानपुर ।
2. मु0अ0सं0 488/15 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर अधिनियम थाना कोतवाली नगर जनपद सुलतानपुर ।